

100

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर कम्प, भोपाल(म.प्र.)
प्र. क. /पी.बी.आर./2017

P/1486-PB-17

श्रीमती सरोज कपूर, पत्नी श्री दीपक कपूर,
आयु वयस्क, निवासी ई-1/84, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल, म.प्र.

आवेदिका

विरुद्ध

श्री मनोज रत्नाकर, आत्मज श्री वृजमोहन रत्नाकर,
आयु वयस्क, वर्तमान निवासी-201, सुकून बिला,
3/2, न्यू पलासिया, इन्दौर, म.प्र.

25-5

अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदिका पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण मान. अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्र.क. 36/अपील/15-16 मनोज रत्नाकर विरुद्ध श्रीमती सरोज कपूर में पारित आदेश दिनांक 25.04.17 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

(Handwritten signature)

आवेदिका

दिनांक 25-5-17

भोपाल

25/5/17

(Handwritten mark)

25-5-17


न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी1486-पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह तथा अनावेदक की ओर से श्री सी0एम0विश्वकर्मा अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	


3/35


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष